न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– जीतू कुलहरी आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 215/2023

जसवीर कौर बनाम राजेन्द्र कुमार

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता, सपठित धारा 151 सी. पी.सी.

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री विकम बिश्नोई अधिवक्ता — प्रार्थी/प्रतिवादी
2. श्री राजेश ग्रेवाल अधिवक्ता — अप्रार्थी /वादी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 08.07.2024

वकील प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी., 151 सी.पी.सी. पेश किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्यानुसार वादी ने वाके चक 1 डी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 53/42 के मुरब्बा नं. 36, 54, 57, 58 व 74 की 9.076 हैक्टयर रकबा में 153/9076 हिस्सा अर्थात् 0.153 हैक्टयर भूमि अपने नाम दर्ज होना बताकर मुरब्बा नं. 57 के किला नं. 7, 8 की 0.190 हैक्टयर में से किला नं. 8 के जिस भाग पर प्रतिवादी ने कब्जा कर रखा हैं को बेदखल करने का वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रतिवादी अपने जवाब दावा के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए निम्न आपति प्रस्तुत कर रहा हैं। वादी अपने नाम 0.153 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना ब्यान करता हैं। वादी 0.153 है0 भूमि का खातेदार होने से वादी इस खाता में 0.153 है0 से अधिक भूमि से प्रतिवादी या अन्य किसी को बेदखल करने का वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं हैं वाद वादी विधि–विरूद्ध प्रस्तुत गया होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। वादग्रस्त भूमि वाके चक 1 डी छोटी के खाता संख्या 42/35 के मुरब्बा नं. 36, 54, 57, 58 व 74 की 9.076 हैक्टयर भूमि हैं और इस खाता में 18 खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं और इस संयुक्त खाता में वादी के नाम 0.153 है० भूमि दर्ज हैं। वादी की उक्त भूमि कौनसे मुरब्बा के कौनसे बीघा में हैं, यह अभी भूमि विभाजन में तय होना हैं। बिना भूमि विभाजन करवाये वादी मुरब्बा नं. 54 के किला नं. 7 व 8 के बारे में कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं और वादी मुरब्बा नं. 54 के किला नं. 7 व 8 के बारे में अनुतोष उक्त खाता के कुल खातेदारान को वाद में पक्षकारान बनाकर ही अनुतोष प्राप्त कर सकता हैं। वादी ने उक्त संयुक्त खाता के कुल खातेदारान को पक्षकार न बनाने से दावा वादी नाकाबिल चलने के है। ऐसी सूरत में वाद वादी विधि–विरूद्ध प्रस्तुत किया गया होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन हैं कि वाद वादी विधि–विरूद्ध प्रस्तुत किया गया होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:34:11 IST
Reason: SelfAttested

वादी द्वारा प्रार्थना [illegible] गया जिसके अनुसार प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र को [illegible] अभिवचन गलत तरीके से अंकित किये है। वादी द्वारा वाद पत्र चरण संख्या 6 व अनुतोष खण्ड 1 के अनुसार खाता संख्या 53/42 मु.न. 57 के कि.न. 7 व 8 मे [illegible] कि.न. 8 के उत्तर, पश्चिम, दक्षिण कोर्नर के करीबन 10 बिस्वा कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जबरन किये गये कब्जे को हटाने हेतू वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 (प्रार्थी द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत नही करने व दावे मे देरी करने के आशय से ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

गया है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी द्वारा स्वंय भूमि मे स्वत्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध मे कोई कथन नही किया है वाद पत्र मे वर्णित खाते में वर्णित भूमि में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के पास कोई भूमि नही है । प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा जबरन कब्जा किया गया है प्रतिवादी अतिक्रमी है अतिक्रमी के विरूद्ध विधि अनुसार किसी भी सह खाते द्वारा वाद बाबत बेदखली प्रस्तुत किया जा सकता है जो विधि अनुसार पोषणीय है। वादी द्वारा वाद पत्र में प्रतिवादी द्वारा वादी के कब्जा काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करने का कथन किया गया है इसलिये भी वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध अतिक्रमी होने के कारण वाद प्रस्तुत करने का अधिकार है जो किसी भी प्रकार से विधि विरूद्ध काबिले खारिज नही है। सयुक्त खाते की भूमि मे किसी भी खातेदार द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखली के लिये बिना भूमि का विभाजन करवाये वाद पोषणीय है । वाद पत्र मे वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अतिक्रमण करने का कथन किया गया है प्रार्थना पत्र मे वादी द्वारा स्वयं के पक्ष मे स्वत्व या मालिकाना हक के सम्बन्ध मे कोई कथन नही किया गया है न ही वादाधीन खाते की भूमि मे वाद पत्र की चरण संख्या 5 में अंकिता अनुसार पटवारी रिपोर्ट मे प्रतिवादी संख्या 1 के पास कोई भूमि है। इसलिये विधि अनुसार अतिक्रमी को किसी प्रकार का कोई सरक्षण नही है न ही अन्य खातेदारान को वाद में पक्षकारान बनाने की आवश्यकता है वाद पोषणीय है विधि विरूद्ध नही है केवल मात्र प्रार्थना पत्र देरी करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है । अतः जबाव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी पी सी पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र कोष्ट के साथ खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील श्री विक्रम बिश्नोई(प्रतिवादी) की मुख्य बहस यह रही कि वादी अपने नाम 0.153 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना ब्यान करता हैं। वादी 0.153 है0 भूमि का खातेदार होने से वादी इस खाता में 0.153 है0 से अधिक भूमि से प्रतिवादी या अन्य किसी को बेदखल करने का वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं हैं वाद वादी विधि–विरूद्ध प्रस्तुत गया होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। वादग्रस्त भूमि वाके चक 1 डी छोटी के खाता संख्या 42/35 के मुरब्बा नं. 36, 54, 57, 58 व 74 की 9.076 हैक्टयर भूमि हैं और इस खाता में 18 खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं और इस संयुक्त खाता में वादी के नाम 0.153 है० भूमि दर्ज हैं। वादी की उक्त भूमि कौनसे मुरब्बा के कौनसे बीघा में हैं, यह अभी भूमि विभाजन में तय होना हैं। बिना भूमि विभाजन करवाये वादी मुरब्बा नं. 54 के किला नं. 7 व 8 के बारे में कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जावे। जवाब बहस में वकील वादी श्री राजेश ग्रेवाल की मुख्य बहस यह रही कि खाता संख्या 53/42 मु.न. 57 के कि.न. 7 व 8 मे से कि.न. 8 के उत्तर, पश्चिम, दक्षिण कोर्नर के करीबन 10 बिस्वा कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जबरन किये गये कब्जे को हटाने हेतू वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा स्वंय भूमि मे स्वत्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में कोई कथन नही किया है वाद पत्र मे वर्णित खाते में वर्णित भूमि में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के पास कोई भूमि नहीं है। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा जबरन [illegible] अतिक्रमी के विरूद्ध विधि अनुसार किसी भी सह खाते द्वारा वा[illegible]ली प्रस्तुत किया जा सकता है जो विधि अनुसार पोषणीय है। अतः [illegible] आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी, 151 सी.[illegible] द्वारा न्यायिक दृष्टान्त– **RRT 2004 (1) pg. 456** [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:34:11 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभ्यपक्ष पर मनन किया गया। प्रस्तुत [illegible]यिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 में स्पष्ट लिखा है कि–

(क) जहां वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

(ख)– जहां दावाकृत अनुतोष का मुल्यांकन कम किया है वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग)– जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(घ)– जहां वाद पत्र में कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड़)– जहां यह दो प्रतियों में नहीं भरा गया है।

(च)– जहां वादी नियम 9 के प्रावधानों के पालन में असफल रहता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद बेदखली का पेश किया गया है। वाद में प्रतिवादी का जवाब आने के पश्चात् तनकी कायम करने के पश्चात् साक्ष्य उपरान्त ही वाद का निर्णय किया जा सकेगा। वाद पत्र में अभिलिखित अभिवचनों के अवलोकन से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा शामिल पत्रावली किया गया।

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:34:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner